राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :–1886/2019

राजेन्द्र कुमार जैन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय), शिक्षा संकुल, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.07.2019
आदेश की दिनांक : 31.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने अपनी इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति न्यायालय, एस.सी.एस.टी. कोर्ट, बीकानेर में आदेश क्रमांक स्था./आदेश/90/12 दिनांक 30–6–1990 से अस्थाई तौर पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गई थी और अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में दिनांक 30–6–1990 को मध्यान्ह पश्चात कार्यग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी ने श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश मेडता के आदेश कमांक 223 दिनांक 6–7–92 से मेड़ता न्याय क्षेत्र में दिनांक 31–5–1992 को आयोजित लिखित एवं 5–6–92 को आयोजित टंकण परीक्षा में आदेश दिनांक 06.07.1992 द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 8–9–2000 के द्वारा 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 1–7–99 से 9 वर्षीय चयनित वेतनमान (एसीपी) का लाभ जिला एवं सेशन न्यायाधीश मेड़ता द्वारा दिया गया। अपीलार्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक परीक्षा 1986 में शामिल हुआ था जिसमें उसने अन्य परीक्षा के साथ टंकण परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। इस संबंध में दिनांक 5–1–1990 को अंक तालिका जारी की गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 1986 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी ततसमय में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहा। उक्त समय में न्यून मेरिट वालों को भी नियुक्ति दे दी गई थी जिसके संबंध में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहा और

अन्त में अपीलार्थी को राज्य सरकार के आदेशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक चित्तौडगढ़ के आदेश क्रमांक जिशिअ/मा/स्था–1/कलि/नियु/लोकसेवा/2000/3256 दिनांक 12–5–2000 से नियुक्त किया गया। सेवा में निरन्तरता में अपीलार्थी को जिला एवं सेशन न्यायाधीश मेड़ता से आदेश क्रमांक 55 दिनांक 17.05.2000 से कार्यमुक्त किये जाने के आधार पर दिनांक 27–5–2000 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय बड़वाई जिला चित्तौडगढ़ में पदभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी की नियुक्ति उसके पूर्व पद न्यायालय में कार्यरत की निरन्तरता में की गई और उसी अनुरूप उसे 9 वर्षीय चयनित वेतनमान के लाभ की गणना 1–7–90 से करते हुए 1–7–99 से दिया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 24–3–2011 के द्वारा द्वितीय चयनित वेतनमान उसकी सेवा गणना 6–7–1992 से करते हुए दिनांक 6–7–2010 से दिया गया है जबकि अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान उसकी सेवा की गणना 1–7–1990 से करते हुए 1–7–1999 से दिया गया उसी प्रकार उसे 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाये। अपीलार्थी की 1–7–1990 से सेवा की गणना करते हुए 1–7–2008 से 18 वर्षीय चयनित वेतनमान (एसीपी) का लाभ दिया जाना चाहिए।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 1986 न्यायिक विभाग में नियुक्ति से पूर्व उत्तीर्ण कर ली है। न्यायिक विभाग द्वारा 9 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर दिया गया चयनित वेतनमान दिनांक 30.06.1990 से 9 वर्ष की सेवा की गणना करते हुए प्रभावी तिथि 01.07.1999 (अनुलग्नक–3) से चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, प्रमुख जयपुर के द्वारा अपीलार्थी को 18 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर न्यायिक विभाग से टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक 06.07.1992 को नियति नियुक्ति मानते हुए 06.07.2010 से एसीपी/चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया है, जो कि विधि सम्मत एवं नियमानुसार सही नहीं है जबकि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 30–6–1990 से 18 वर्ष की सेवा की गणना करते हुए प्रभावी तिथि 01–07–2008 से एसीपी/चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाना चाहिए था क्योंकि अपीलार्थी ने पूर्व में ही राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और वर्ष 1990 में ही उसका राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का रिजल्ट भी 5–1–1990 को आ गया।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1957 तथा सम्प्रति राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 दिये गये प्रावधानुसार कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त होने वाले कर्मचारीयो के लिये टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना आज्ञापक (Mandatory) प्रावधान है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य व अन्य बनाम् जगदीश नारायण चतुर्वेदी के प्रकरण में पारीत आदेश दिनांक 08.05.2009 के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी नियमित नियुक्ति तिथि से ही चयनित वेतनमान/एसीपी पाने का अधिकारी है। अपीलार्थी द्वारा टंकण परीक्षा दिनांक 06.07.1992 को उत्तीर्ण की गई है। अतः अपीलार्थी की नियमिति नियुक्ति तिथि 06.07.1992 मानी जाकर ही नियमानुसार चयनित वेतनमान का लाभ देय है, उसी के अनुसार अपीलार्थी को लाभ प्रदान किये गये है।
4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया गया। वर्तमान में अपीलार्थी राजस्थान सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यरत है। अपीलार्थी की नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 1986 में उत्तीर्ण कर दिया गया था। अपीलार्थी ने उक्त कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, 1986 के साथ जनवरी, 1990 में टंकण परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली थी। जिसकी अंकतालिका भी अपीलार्थी ने प्रस्तुत की है। ऐसे में टंकण परीक्षा, जो जनवरी, 1990 में पास कर ली गई थी। उसके आधार पर अपीलार्थी कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदस्थापन के लिए पात्रता रखता था। बाद में अपीलार्थी कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा 1986 के अनुसरण में अपीलार्थी को समय पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। तब अपीलार्थी ने न्यायिक विभाग में दिनांक 30.06.1990 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।
5. न्यायिक विभाग में कार्यरत रहकर अपीलार्थी ने 06.07.1992 को जिला एवं सेशन न्यायाधिश, मेड़ता द्वारा आयोजित टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की और इसी आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रथम नियुक्ति दिनांक 06.07.1992 माना है। जबकि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति न्यायिक विभाग में 30.06.1990 को हो चुकी थी। अपीलार्थी द्वारा आरपीएससी द्वारा आयोजित टंकण परीक्षा भी उसने पूर्व में उत्तीर्ण कर चुका था। ऐसे में न्यायिक विभाग द्वारा आयोजित टंकण परीक्षा पास करने की तिथि से प्रथम नियुक्ति का माना जाना उचित नहीं है। न्यायिक विभाग द्वारा अपीलार्थी को पूर्व में 9 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 30.06.1990 से प्रथम नियुक्ति मानते हुए दी गई थी, जो उचित थी। इसके अलावा अपीलार्थी ने प्रथम

नियुक्ति 30.06.1990 से पूर्व आरपीएससी द्वारा आयोजित टंकण परीक्षा पास कर ली थी। ऐसे में प्रथम नियुक्ति की तिथि 30.06.1990 से माना जाना चाहिए था। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन माने जाने योग्य नहीं है कि अपीलार्थी ने टंकण परीक्षा 06.07.1992 को उत्तीण की है, इस कारण उसकी प्रथम नियुक्ति 30.07.1992 से मान्य होगा।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ उसकी सेवा की गणना दिनांक 01.07.1990 से करते हुए दिया जाये और इसी प्रकार 27 वर्षीय चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ भी प्रथम नियुक्ति तिथि 01.07.1990 से मानते हुए दिया जाए। साथ ही अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)